उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा आयोजित

UP SI उप निरीक्षक

मूलविधि

परीक्षा रिफ्रेशर

अध्यायवार अध्ययन सामग्री एवं सॉल्व्ड पेपर्स

प्रधान संपादक

आनन्द कुमार महाजन

संपादक/लेखक मण्डल

अभिषेक सिंह,हर्ष वर्धन सिंह (LLM-NET), मनीष सिंह (LLM-NET)

कम्प्यूटर ग्राफिक्स

बालकृष्ण त्रिपाठी एवं विनय साहू

सम्पादकीय कार्यालय

12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002

मो. : 9415650134

Email : yctap12@gmail.com

website : www.yctbooks.com/www.yctfastbook.com

© All rights reserved with Publisher

प्रकाशन घोषणा

सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने रूप प्रिंटिंग प्रेस, प्रयागराज से मुद्रित करवाकर, वाई.सी.टी. पब्लिकेशन्स प्रा. लि., 12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002 के लिए प्रकाशित किया।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सुझाव और सहयोग सादर अपेक्षित है।

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

मूल्य : 695/-

विषय सूची

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 3-9
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 10-18
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 19-21
- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 22-70
- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 71-109
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 110-115
- महिलाओं के संरक्षण संबंधित विधिक प्रावधान 116-132
- बच्चों के संरक्षण सम्बंधी विधिक प्रावधान 133-154
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 155-163
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा यातायात नियम 164-190
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 191-202
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 203-219
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम-1993 220-240
- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 241-256
- आयकर अधिनियम, 1961 257-284
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 285-296
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 297-305
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 306-328
- साइबर अपराध 329-336
- जनहित याचिका 337-347
- भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू-राजस्व सम्बन्धी कानून 348-375
- महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय 376-384

उपनिरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम : मूलविधि

भारतीय दण्ड विधान एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू-राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान।

भारतीय न्याय संहिता, 2023

(2023 का अधिनियम संख्या-45) [25 दिसम्बर 2023]

भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित

अध्याय 1
प्रारंभिक

धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना।
धारा 2 परिभाषाएं।
धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण।

अध्याय 2
दण्डों के विषय में

धारा 4 दण्ड।
धारा 5 मृत्यु दण्डादेश या आजीवन कारावास का लघुकरण।
धारा 6 दण्डावधियों की भिन्नें।
धारा 7 दण्डादिष्ट (कारावास के कतिपय मामलों में) सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा।
धारा 8 जुर्माने की रकम का, जुर्माना आदि के भुगतान में व्यतिक्रम करने पर, दायित्व।
धारा 9 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि।
धारा 10 कई अपराधों में से एक के दोषों व्यक्ति के लिए दण्ड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है।
धारा 11 एकांत परिरोध।
धारा 12 एकांत परिरोध की अवधि।
धारा 13 पूर्व दोषसिद्ध के पश्चात् कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड।

अध्याय 3
साधारण अपवाद

धारा 14 विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।
धारा 15 न्यायिकतः कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य।
धारा 16 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य।
धारा 17 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।
धारा 18 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना।
धारा 19 कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है।
धारा 20 सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य।
धारा 21 सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य।
धारा 22 मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति का कार्य।
धारा 23 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है।
धारा 24 किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है।
धारा 25 सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो।
धारा 26 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है।
धारा 27 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य।
धारा 28 सम्मति, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है।
धारा 29 ऐसे कार्य का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है।
धारा 30 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य।
धारा 31 सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना।
धारा 32 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है।
धारा 33 तुच्छ अनहानि कारित करने वाला कार्य।

प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए

धारा 34 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें।
धारा 35 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार।
धारा 36 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो मानसिक रूप से रुग्ण हो।
धारा 37 कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है।
धारा 38 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है।
धारा 39 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है।
धारा 40 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना।
धारा 41 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है।
धारा 42 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है।
धारा 43 सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना।
धारा 44 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है।

अध्याय 4
दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में

धारा 45 किसी बात का दुष्प्रेरण।

धारा 46 दुष्प्रेरक।

धारा 47 भारत से बाहर के आपराधों का भारत में दुष्प्रेरण।

धारा 48 भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण।

धारा 49 दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किय जाए और जहां कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है।

धारा 50 दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है।

धारा 51 दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है।

धारा 52 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दण्ड से दण्डनीय है।

धारा 53 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो।

धारा 54 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति।

धारा 55 मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण।

धारा 56 कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण।

धारा 57 लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण।

धारा 58 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।

धारा 59 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है।

धारा 60 कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।

आपराधिक षड्यंत्र के विषय में

धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र प्रयत्न के विषय में।

धारा 62 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दण्ड।

अध्याय 5
स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में
यौन अपराधों के विषय में

धारा 63 बलात्संग।

धारा 64 बलात्संग के लिए दंड।

धारा 65 कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड।

धारा 66 पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड।

धारा 67 पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन।

धारा 68 प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन।

धारा 69 प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि से नियोजक द्वारा मैथुन।

धारा 70 सामूहिक बलात्संग।

धारा 71 पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड।

धारा 72 कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण।

धारा 73 न्यायालय की कार्यवाही से सम्बन्धित किसी भी मामले को बिना अनुमति के छापना या प्रकाशित करना।

स्त्री के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में

धारा 74 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

धारा 75 लैंगिक उत्पीड़न।

धारा 76 विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

धारा 77 दृश्यरतिकता।

धारा 78 पीछा करना।

धारा 79 शब्द, अंगविक्षेप या कार्य, जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादान करने के लिए आशयित है।

विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा 80 दहेज मृत्यु।

धारा 81 विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास।

धारा 82 पति या पत्नी के जीवनकान में पुनःविवाह करना।

धारा 83 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना।

धारा 84 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या ले जाना या निरुद्ध रखना।

धारा 85 किसी स्त्री के पति या पती के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना।

धारा 86 क्रूरता की परिभाषा।

धारा 87 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना।

गर्भपात, आदि कारित करने के विषय में

धारा 88 गर्भपात कारित करना।

धारा 89 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना।

धारा 90 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु।

धारा 91 शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य।

धारा 92 ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना।

बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 93 शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग।

धारा 94 मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना।

धारा 95 अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना।

धारा 96 शिशु का उपापन।

धारा 97 दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण।

धारा 98 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेचना।

धारा 99 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु का खरीदना।

अध्याय 6
मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषयों में जीवन के लिए

धारा 100 आपराधिक मानव वध।

धारा 101 हत्या।

धारा 102 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध।

धारा 103 हत्या के लिए दण्ड।

धारा 104 आजीवन सिद्धदोश द्वारा हत्या के लिए दण्ड।

धारा 105 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड।

धारा 106 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना।

धारा 107 शिशु या मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति का आत्महत्या का दुष्प्रेरण।

धारा 108 आत्महत्या का दुष्प्रेरण।

धारा 109 हत्या करने का प्रयत्न।

धारा 110 आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न।

धारा 111 संगठित अपराध।

धारा 112 छोटे संगठित अपराध।

धारा 113 आतंकवादी कृत्य।

उपहति के विषय में

धारा 114 उपहति।

धारा 115 स्वेच्छया उपहति कारित करना।

धारा 116 घोर उपहति।

धारा 117 स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।

धारा 118 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।

धारा 119 संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।

धारा 120 संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपति या घोर उपहति कारित करना।

धारा 121 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।

धारा 122 प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना।

धारा 123 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना।

धारा 124 अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।

धारा 125 कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो।

सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में

धारा 126 सदोष अवरोध।

धारा 127 सदोष परिरोध।

आपराधिक बल और हमले के विषय में

धारा 128 बल।

धारा 129 आपराधिक बल।

धारा 130 हमला।

धारा 131 गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड।

धारा 132 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

धारा 133 गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

धारा 134 किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

धारा 135 किसी व्यक्ति का सदोश परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

धारा 136 गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में

धारा 137 व्यपहरण।

धारा 138 अपहरण।

धारा 139 भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यपहरण या विकलांगीकरण।

धारा 140 हत्या करने के लिए या फिरौती के लिए व्यपहरण या अपहरण।

धारा 141 विदेश से लड़की या लड़के का आयात करना।

धारा 142 व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण।

धारा 143 व्यक्ति का दुर्व्यापार।

धारा 144 ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण।

धारा 145 दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना।

धारा 146 विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम।

अध्याय 7
राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना।

धारा 148 धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र।

धारा 149 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना।

धारा 150 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना।

धारा 151 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना।

धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य।

धारा 153 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना।

धारा 154 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना।

धारा 155 धारा 153 और 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना।

धारा 156 लोक सवेक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्धकैदी को निकल भागने देना।

धारा 157 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना।

धारा 158 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना।

अध्याय 8
सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा 159 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना।

धारा 160 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए।

धारा 161 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ आफिसर पर जब कि वह आफिसर अपने पद-निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण।

धारा 162 ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए।

धारा 163 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण।

धारा 164 अभित्याजक को संश्रय देना।

धारा 165 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक।

धारा 166 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण।

धारा 167 कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति।

धारा 168 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना।

अध्याय 9
निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में

धारा 169 ''अभ्यर्थी'', ''निर्वाचन अधिकार'' परिभाषित।

धारा 170 रिश्वत।

धारा 171 निर्वाचनों में असम्यक्त असर डालना।

धारा 172 निर्वाचनों में प्रतिरुपण।

धारा 173 रिश्वत के लिए दण्ड।

धारा 174 निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरुपण के लिए दण्ड।

धारा 175 निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन।

धारा 176 निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय।

धारा 177 निर्वाचन लेखा रखने में असफलता।

अध्याय 10
सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा 178 सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट या सरकारी स्टाम्पों कूटकरण।

धारा 179 कूटरचित या कूटकृत सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट या सरकारी स्टाम्प को असली के रूप में उपयोग करना।

धारा 180 कूटरचित या कूटकृत सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट या सरकारी स्टाम्प को कब्जे में रखना।

धारा 181 लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट बनाना या कब्जे में रखना।

धारा 182 करेंसी नोट या बैंक नोट के सदृश दस्तावेज बनाना या उपयोग करना।

धारा 183 इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है।

धारा 184 ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है।

धारा 185 स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिह्न का छीलकर मिटाना।

धारा 186 बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध।

धारा 187 टकसाल मे नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है।

धारा 188 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना।

अध्याय 11
लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 189 विधिविरुद्ध जमाव।

धारा 190 विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी।

धारा 191 बल्वा करना।

धारा 192 बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना-यदि बल्वा किया जाए–यदि बल्वा न किया जाए।

धारा 193 उस भूमि के स्वमी, अधिभोगी, आदि जिस पर विधिविरुद्ध जमाव या बल्वा किया गया है, का दायित्व।

धारा 194 दंगा।

धारा 195 लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना।

धारा 196 धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना।

धारा 197 राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान।

अध्याय 12
लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में

धारा 198 लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है।

धारा 199 लोक सेवक, जो विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करता है।

धारा 200 पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड।

धारा 201 लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है।

धारा 202 लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है।

धारा 203 लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है।

धारा 204 लोक सेवक का प्रतिरूपण।

धारा 205 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना।

अध्याय 13
लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

धारा 206 समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना।

धारा 207 समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना।

धारा 208 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहना।

धारा 209 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी।

धारा 210 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक पेश करने का लोप।

धारा 211 सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोप।

धारा 212 मिथ्या इत्तिला देना।

धारा 213 शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए।

धारा 214 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार करना।

धारा 215 कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार।

धारा 216 शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन।

धारा 217 इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे।

धारा 218 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध।

धारा 219 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना।

धारा 220 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना।

धारा 221 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना।

धारा 222 लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो।

धारा 223 लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा।

धारा 224 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी।

धारा 225 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी।

धारा 226 विधिविरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास।

अध्याय 14
मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा 227 मिथ्या साक्ष्य देना।

धारा 228 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना।

धारा 229 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड।

धारा 230 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।

धारा 231 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।

धारा 232 किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना।

धारा 233 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है।

धारा 234 मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना।

धारा 235 प्रमाणपत्र को जिसको मिथ्या होना ज्ञात है, सच्चे के रूप में काम में लाना।

धारा 236 ऐसे घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन।

धारा 237 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना।

धारा 238 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधों को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना।

धारा 239 इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप।

धारा 240 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना।

धारा 241 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना।

धारा 242 वाद या अभियोजन में किसी कार्य का कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण।

धारा 243 संपत्ति को समहपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना।

धारा 244 संपत्ति पर उसके समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा।

धारा 245 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना।

धारा 246 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना।

धारा 247 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना।

धारा 248 क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप।

धारा 249 अपराधी को संश्रय देना।

धारा 250 अपराधों को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना।

धारा 251 अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन।

धारा 252 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना।

धारा 253 ऐसे अपराधों को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है।

धारा 254 लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति।

धारा 255 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा।

धारा 256 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना।

धारा 257 न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना।

धारा 258 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी।

धारा 259 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप।

धारा 260 दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप।

धारा 261 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना।

धारा 262 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़ने जाने में प्रतिरोध या बाधा।

धारा 263 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा।

धारा 264 उन दशाओं में, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना।

धारा 265 अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना।

धारा 266 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण।

धारा 267 न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न।

धारा 268 असेसर का प्रतिरूपण।

धारा 269 जमानत या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता।

अध्याय 15
लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

धारा 270 लोक न्यूसेन्स।

धारा 271 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो।

धारा 272 परिद्वेशपूर्ण कार्या, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो।

धारा 273 करन्तीन के नियम की अवज्ञा।

धारा 274 विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण।

धारा 275 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय।

धारा 276 औषधियों का अपमिश्रण।

धारा 277 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय।

धारा 278 औषधि का भिन्न औषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय।

धारा 279 लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना।

धारा 280 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना।

धारा 281 लोक मार्ग पर उतवलेपन से वाहन चलाना या हांकना।

धारा 282 जलयान का उतावलेपन से चलाना।

धारा 283 भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन।

धारा 284 अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण।

धारा 285 लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा।

धारा 286 विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।

धारा 287 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध से उपेक्षापूर्ण आचरण।

धारा 288 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण।

धारा 289 मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।

धारा 290 किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।

धारा 291 जीवजन्तु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण।

धारा 292 अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दण्ड।

धारा 293 रोकने के व्यादेश के बाद भी न्यूसेन्स का जारी रहना।

धारा 294 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि।

धारा 295 बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, आदि।

धारा 296 अश्लील कार्य और गाने।

धारा 297 लाटरी कार्यालय रखना।

अध्याय 16
धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा 298 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना।

धारा 299 विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहात करने के आशय से किए गए हो।

धारा 300 धार्मिक जमाव में विघ्न करना।

धारा 301 कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना।

धारा 302 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से, शब्द उच्चारित करना आदि।

अध्याय 17
सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में
चोरी के विषय में

धारा 303 चोरी।

धारा 304 झपटमारी।

धारा 305 निवास-गृह, यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी।

धारा 306 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी।

धारा 307 चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोर।

उद्दापन के विषय में

धारा 308 उद्दापन।

लूट और डकैती के विषय में

धारा 309 लूट।

धारा 310 डकैती।

धारा 311 मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती।

धारा 312 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न।

धारा 313 चोरी की टोली का होने के लिए दण्ड।

सम्पत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में

धारा 314 सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग।

धारा 315 ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी।

आपराधिक न्यासभंग के विषय में

धारा 316 आपराधिक न्यासभंग।

चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में

धारा 317 चुराई हुई संपत्ति।

छल के विषय में

धारा 318 छल।

धारा 319 प्रतिरूपण द्वारा छल।

कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्ययनों के विषय में

धारा 320 लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना।

धारा 321 ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना।

धारा 322 अन्तरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन।

धारा 323 सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना।

रिष्टि के विषय में

धारा 324 रिष्टि।

धारा 325 जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि।

धारा 326 क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि।

धारा 327 रेल, वायुयान, तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि।

धारा 328 चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड।

आपराधिक अतिचार के विषय में

धारा 329 आपराधिक अतिचार और गृह अतिचार।

धारा 330 गृह अतिचार और गृह-भेदन।

धारा 331 गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड।

धारा 332 अपराध को करने के लिए गृह अतिचार।

धारा 333 उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह अतिचार।

धारा 334 ऐसे पात्र को, जिसमें संपत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना।

अध्याय 18
दस्तावेजों और संपत्ति चिह्नों संबंधी अपराधों के विषय में

धारा 335 मिथ्या दस्तावेज रचना।

धारा 336 कूटरचना।

धारा 337 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना।

धारा 338 मूल्यवान प्रतिभूति, विल, इत्यादि की कूटरचना।

धारा 339 धारा 337 या 338 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना।

धारा 340 कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना।

धारा 341 धारा 338 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना।

धारा 342 धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षण या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना।

धारा 343 विल, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट, आदि करना।

धारा 344 लेखा का मिथ्याकरण।

संपत्ति चिह्नों के विषय में

धारा 345 सम्पत्ति-चिह्न।

धारा 346 क्षति कारित करने के आशय से सम्पत्ति-चिह्न को बिगाड़ना।

धारा 347 सम्पत्ति-चिह्न का कूटकरण।

धारा 348 सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा।

धारा 349 कूटकृत सम्पत्ति-चिह्न से चिह्नित माल का विक्रय।

धारा 350 किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है।

अध्याय 19
आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में

धारा 351 आपराधिक अभित्रास।

धारा 352 लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान।

धारा 353 लोक रिष्टिकारक वक्तव्य।

धारा 354 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य।

धारा 355 मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार।

मानहानि के विषय में

धारा 356 मानहानि।

असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग के विषय में

धारा 357 असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग के विषय में।

अध्याय 20 निरसन और व्यावृत्ति

धारा 358 निरसन और व्यावृत्ति।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

(2023 का अधिनियम संख्या-46) **[25 दिसम्बर 2023]**

भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित

अध्याय 1
प्रारंभिक

धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

धारा 2 परिभाषाएं।

धारा 3 निर्देशों का अर्थ लगाना।

धारा 4 भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार।

धारा 5 व्यावृत्ति।

अध्याय 2
दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन

धारा 6 दंड न्यायालयों के वर्ग।

धारा 7 प्रादेशिक खंड।

धारा 8 सेशन न्यायालय।

धारा 9 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय।

धारा 10 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि।

धारा 11 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट।

धारा 12 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता।

धारा 13 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना।

धारा 14 कार्यपालक मजिस्ट्रेट।

धारा 15 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट।

धारा 16 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता।

धारा 17 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना।

धारा 18 लोक अभियोजक।

धारा 19 सहायक लोक अभियोजक।

धारा 20 अभियोजन निदेशालय।

अध्याय 3
न्यायालयों की शक्ति

धारा 21 न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं।

धारा 22 दंडादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे।

धारा 23 दंडादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे।

धारा 24 जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश।

धारा 25 एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दंडादेश।

धारा 26 शक्तियां प्रदान करने का ढंग।

धारा 27 नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां।

धारा 28 शक्तियों को वापस लेना।

धारा 29 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उतरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना।

अध्याय 4
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता

धारा 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां।

धारा 31 जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी।

धारा 32 पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है।

धारा 33 कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना।

धारा 34 ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य।

अध्याय 5
व्यक्तियों की गिरफ्तारी

धारा 35 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी।

धारा 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य।

धारा 37 पदाभिहित पुलिस अधिकारी।

धारा 38 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार।

धारा 39 नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी।

धारा 40 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया।

धारा 41 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी।

धारा 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण।

धारा 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी।

धारा 44 उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।

धारा 45 अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना।

धारा 46 अनावश्यक अवरोध न करना।

धारा 47 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना।

धारा 48 गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता।

धारा 49 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी।

धारा 50 आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति।

धारा 51 पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा।

धारा 52 बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा-व्यावसायी द्वारा परीक्षा।

धारा 53 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा।

धारा 54 गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त।

धारा 55 जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया।

धारा 56 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा।

धारा 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना।

धारा 58 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना।

धारा 59 पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना।

धारा 60 पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन।

धारा 61 निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति।

धारा 62 गिरफ्तारी का कठोरता पूर्वक संहिता के अनुसार ही किया जाना।

अध्याय 6
हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

क—समन

धारा 63 समन का प्ररूप।

धारा 64 समन की तामील कैसे की जाए।

धारा 65 निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील।

धारा 66 जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील।

धारा 67 जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया।

धारा 68 सरकारी सेवक पर तामील।

धारा 69 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील।

धारा 70 ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत।

धारा 71 साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील।

ख-गिरफ्तारी का वारंट

धारा 72 गिरफ्तारी के वारंट का प्ररूप और अवधि।

धारा 73 प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति।

धारा 74 वारंट किसको निदिष्ट होंगे।

धारा 75 वारंट किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट हो सकेंगे।

धारा 76 पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट।

धारा 77 वारंट के सार की सूचना।

धारा 78 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना।

धारा 79 वारंट कहां निष्पादित किया जा सकता है।

धारा 80 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट।

धारा 81 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट।

धारा 82 जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया।

धारा 83 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए।

ग—उद्घोषणा और कुर्की

धारा 84 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा।

धारा 85 फरार व्यक्ति की संपति की कुर्की।

धारा 86 उद्घोषित व्यक्ति के संपति की पहचान और कुर्की।

धारा 87 कुर्की के बारे में दावे और आपतियां।

धारा 88 कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना।

धारा 89 कुर्क संपति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील।

घ—आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम

धारा 90 समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना।

धारा 91 हाजिरी के लिए बंधपत्र लेने की शक्ति।

धारा 92 हाजिरी का बंधपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी।

धारा 93 इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना।

अध्याय 7
चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

क—पेश करने के लिए समन

धारा 94 दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन।

धारा 95 पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया।

ख—तलाशी-वारंट

धारा 96 तलाशी-वारंट कब जारी किया जा सकता है।

धारा 97 उस स्थान की तलाशी, जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है।

धारा 98 कुछ प्रकाशनों के समपहृत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी-वारंट जारी करने की शक्ति।

धारा 99 समपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन।

धारा 100 सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी।

धारा 101 अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति।

धारा 102 तलाशी-वारंटों का निदेशन आदि।

धारा 103 बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे।

धारा 104 अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन।

ग—प्रकीर्ण

धारा 105 श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना।

धारा 106 कुछ संपत्ति को अभिगृहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।

धारा 107 संपत्ति की कुर्की, अभिग्रहण, जब्ती या वापसी।

धारा 108 मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है।

धारा 109 पेश की गई दस्तावेज आदि, को परिबद्ध करने की शक्ति।

धारा 110 आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था।

अध्याय 8
कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और समपहरण के लिए प्रक्रिया

धारा 111 परिभाषाएं।

धारा 112 भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध-पत्र।

धारा 113 भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध-पत्र।

धारा 114 व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता।

धारा 115 संपत्ति की कुर्की या समपहरण के आदेशों के संबंध में सहायता।

धारा 116 विधिविरुद्धतया अर्जित संपत्ति की पहचान करना।

धारा 117 सम्पत्ति का अभिग्रहण या कुर्की।

धारा 118 इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपहृत संपत्ति का प्रबंध।

धारा 119 संपत्ति के समपहरण की सूचना।

धारा 120 कतिपय मामलों में संपत्ति का समपहरण।

धारा 121 समपहरण के बदले जुर्माना।

धारा 122 कुछ अंतरणों का अकृत और शून्य होना।

धारा 123 अनुरोध-पत्र की बाबत प्रक्रिया।

धारा 124 इस अध्याय का लागू होना।

अध्याय 9
परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति

धारा 125 दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति।

धारा 126 अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति।

धारा 127 राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति।

धारा 128 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति।

धारा 129 आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति।

धारा 130 आदेश का दिया जाना।

धारा 131 न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया।

धारा 132 ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है।

धारा 133 समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी।

धारा 134 वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति।

धारा 135 इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच।

धारा 136 प्रतिभूति देने का आदेश।

धारा 137 उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है।

धारा 138 जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ।

धारा 139 बंधपत्र की अंतर्वस्तुएं।

धारा 140 प्रतिभुओं को अस्वीकार करने की शक्ति।

धारा 141 प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास।

धारा 142 प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति।

धारा 143 बंधपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति।

अध्याय 10
पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश

धारा 144 पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश।

धारा 145 प्रक्रिया।

धारा 146 भते में परिवर्तन।

धारा 147 भरणपोषण के आदेश का प्रवर्तन।

अध्याय 11
लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना

क–विधिविरुद्ध जमाव

धारा 148 सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना।

धारा 149 जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग।

धारा 150 जमाव को तितर-बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति।

धारा 151 पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण।

ख–लोक न्यूसेन्स

धारा 152 न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश।

धारा 153 आदेश की तामील या अधिसूचना।

धारा 154 जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करे या कारण दर्शित करे।

धारा 155 उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम।

धारा 156 जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार किया जाता है वहां प्रक्रिया।

धारा 157 जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां प्रक्रिया।

धारा 158 स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति।

धारा 159 मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति।

धारा 160 आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम।

धारा 161 जांच के लंबित रहने तक व्यादेश।

धारा 162 मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेन्स की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है।

ग–न्यूसेन्स या आशंकित खतरे के अर्जेट मामले

धारा 163 न्यूसेन्स या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति।

घ–स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद

धारा 164 जहां भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया।

धारा 165 विवाद की विषयवस्तु का कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति।

धारा 166 भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद।

धारा 167 स्थानीय जांच।

अध्याय 12 पुलिस का निवारक कार्य

धारा 168 पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना।

धारा 169 संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला।

धारा 170 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी।

धारा 171 लोक संपत्ति की हानि का निवारण।

धारा 172 व्यक्तियों का पुलिस के युक्तियुक्त निदेशों के अनुरूप बाध्य होना।

अध्याय 13
पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां

धारा 173 संज्ञेय मामलों में इत्तिला।

धारा 174 असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण।

धारा 175 संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।

धारा 176 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया।

धारा 177 रिपोर्ट कैसे दी जाएंगी।

धारा 178 अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति।

धारा 179 साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।

धारा 180 पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा।

धारा 181 पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जानाः कथनों का साक्ष्य में उपयोग।

धारा 182 कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना।

धारा 183 संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना।

धारा 184 बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा।

धारा 185 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी।

धारा 186 पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है।

धारा 187 जब चौबीस घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया सके तब प्रक्रिया।

धारा 188 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट।

धारा 189 जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना।

धारा 190 जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना।

धारा 191 परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना।

धारा 192 अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी।

धारा 193 अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट।

धारा 194 आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना।

धारा 195 व्यक्तियों को समन करने की शक्ति।

धारा 196 मृत्यु के कारण का मजिस्ट्रेट द्वारा जांच।

अध्याय 14
जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता

धारा 197 जांच और विचारण का मामूली स्थान।

धारा 198 जांच या विचारण का स्थान।

धारा 199 अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला।

धारा 200 जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान।

धारा 201 कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान।

धारा 202 इलेक्ट्रॉनिक सूचना के साधनों, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध।

धारा 203 यात्रा या जलयात्रा में किया गया अपराध।

धारा 204 एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान।

धारा 205 विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति।

धारा 206 संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा।

धारा 207 स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति।

धारा 208 भारत से बाहर किया गया अपराध।

धारा 209 भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना।

अध्याय 15
कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें

धारा 210 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान।

धारा 211 अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण।

धारा 212 मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना।

धारा 213 अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान।

धारा 214 अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण।

धारा 215 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन।

धारा 216 धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया।

धारा 217 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए अपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन।

धारा 218 न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन।

धारा 219 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन।

धारा 220 भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 के अधीन अपराधों का अभियोजन।

धारा 221 अपराध का संज्ञान।

धारा 222 मानहानि के लिए अभियोजन।

अध्याय 16
मजिस्ट्रेटों से परिवाद

धारा 223 परिवादी की परीक्षा।

धारा 224 ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है।

धारा 225 आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना।
धारा 226 परिवाद का खारिज किया जाना।

अध्याय 17
मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यावाही का प्रारंभ किया जाना

धारा 227 आदेशिका का जारी किया जाना।
धारा 228 मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना।
धारा 229 छोटे अपराधों के मामलों में विशेष समन।
धारा 230 अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अनय दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना।
धारा 231 सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना।
धारा 232 जब अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना।
धारा 233 परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण।

अध्याय 18 आरोप

क—आरोपों का प्ररूप

धारा 234 आरोप की अंतर्वस्तु।
धारा 235 समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां।
धारा 236 कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए।
धारा 237 आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है।
धारा 238 गलतियों का प्रभाव।
धारा 239 न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है।
धारा 240 जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनःबुलाया जाना।
धारा 241 सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप।
धारा 242 एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के तीन अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सके।
धारा 243 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण।
धारा 244 जहां इस बारे में संदेह है कि कौन-सा अपराध किया गया है।
धारा 245 जब वह अपराध, जो साबित हुआ है, आरोपित अपराध के अंतर्गत है।
धारा 246 किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा।
धारा 247 कई आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना।

अध्याय 19
सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण

धारा 248 विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना।
धारा 249 अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ।
धारा 250 उन्मोचन।
धारा 251 आरोप विरचित करना।
धारा 252 दोषी होने के अभिवचन।
धारा 253 अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख।
धारा 254 अभियोजन के लिए साक्ष्य।
धारा 255 दोषमुक्ति।
धारा 256 प्रतिरक्षा आरंभ करना।
धारा 257 बहस।
धारा 258 दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय।
धारा 259 पूर्व दोषसिद्धि।
धारा 260 धारा 222(2) के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया।

अध्याय 20
मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट-मामलों का विचारण

क—पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले

धारा 261 धारा 230 का अनुपालन।
धारा 262 जब अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा।
धारा 263 आरोप विरचित करना।
धारा 264 दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि।
धारा 265 अभियोजन के लिए साक्ष्य।
धारा 266 प्रतिरक्षा का साक्ष्य।

ख—पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले

धारा 267 अभियोजन का साक्ष्य।
धारा 268 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा।
धारा 269 प्रक्रिया, जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता।
धारा 270 प्रतिरक्षा का साक्ष्य।

ग—विचारण की समाप्ति

धारा 271 दोषमुक्ति या दोषसिद्धि।
धारा 272 परिवादी की अनुपस्थिति।
धारा 273 उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर।

अध्याय 21
मजिस्ट्रेट द्वारा समन-मामलों का विचारण

धारा 274 अभियोग का सारांश बताया जाना।
धारा 275 दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि।
धारा 276 छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि।
धारा 277 प्रक्रिया जब दोषसिद्धि, न किया जाए।
धारा 278 दोषमुक्ति या दोषसिद्धि।
धारा 279 परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु।
धारा 280 परिवाद को वापस लेना।
धारा 281 कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति।
धारा 282 समन-मामलों को वारंट-मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति।

अध्याय 22 संक्षिप्त विचारण

धारा 283 संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति।
धारा 284 द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण।
धारा 285 संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया।
धारा 286 संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख।
धारा 287 संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय।
धारा 288 अभिलेख और निर्णय की भाषा।

अध्याय 23
सौदा अभिवाक्

धारा 289 अध्याय का लागू होना।
धारा 290 सौदा अभिवाक् के लिए आवेदन।
धारा 291 पारस्परिक संतोषपद निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।
धारा 292 पारस्परिक संतोषपद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।
धारा 293 मामले का निपटारा।
धारा 294 न्यायालय का निर्णय।
धारा 295 निर्णय का अंतिम होना।
धारा 296 सौदा अभिवाक् में न्यायालय की शक्ति।
धारा 297 अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना।
धारा 298 व्यावृत्तियाँ।
धारा 299 अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना।
धारा 300 अध्याय का लागू न होना।

अध्याय 24
कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी

धारा 301 परिभाषाएं।
धारा 302 बंदियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति।
धारा 303 धारा 302 के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की शक्ति।
धारा 304 कारागार के भारसाधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना।
धारा 305 बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना।
धारा 306 कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति।

अध्याय 25
जांचों और विचारणों में साक्ष्य

क—साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग

धारा 307 न्यायालयों की भाषा।
धारा 308 साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना।
धारा 309 समन-मामलों और जांचों में अभिलेख।
धारा 310 वारंट-मामलों में अभिलेख।
धारा 311 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख।
धारा 312 साक्ष्य के अभिलेख की भाषा।
धारा 313 जब ऐसा साक्ष्य पूरा हो जाता है तब उसके संबंध में प्रक्रिया।
धारा 314 अभियुक्त या उसके प्लीडर को साक्ष्य का भाषान्तर सुनाया जाना।
धारा 315 साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां।
धारा 316 अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख।
धारा 317 दुभाषिया ठीक-ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा।
धारा 318 उच्च न्यायालय में अभिलेख।

ख—साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन

धारा 319 कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा।
धारा 320 कमीशन किसको जारी किया जाएगा।
धारा 321 कमीशनों का निष्पादन।
धारा 322 पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे।
धारा 323 कमीशन का लौटाया जाना।
धारा 324 कार्यवाही का स्थगन।
धारा 325 विदेशी कमीशनों का निष्पादन।
धारा 326 चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य।
धारा 327 मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट।
धारा 328 टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य।
धारा 329 कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट।
धारा 330 कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना।
धारा 331 लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथपत्र।
धारा 332 शपथपत्र पर औपचारिक साक्ष्य।
धारा 333 प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा।
धारा 334 पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति कैसे साबित की जाए।
धारा 335 अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख।
धारा 336 कतिपय मामलों में लोकसवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य।

अध्याय 26
जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध

धारा 337 एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना।
धारा 338 लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी।
धारा 339 अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा।
धारा 340 जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार।
धारा 341 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता।
धारा 342 प्रक्रिया, जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है।
धारा 343 सह-अपराधी को क्षमा-दान।
धारा 344 क्षमा-दान का निदेश देने की शक्ति।
धारा 345 क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण।
धारा 346 कार्यवाही को मुल्तवी या स्थगित करने की शक्ति।
धारा 347 स्थानीय निरीक्षण।
धारा 348 आवश्क साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति।
धारा 349 नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति।
धारा 350 परिवादियों और साक्षियों के व्यय।
धारा 351 अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति।
धारा 352 मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन।
धारा 353 अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना।
धारा 354 प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाया जाना।
धारा 355 कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध।

धारा 356 उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय।

धारा 357 प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाही नहीं समझता है।

धारा 358 अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति।

धारा 359 अपराधों का शमन।

धारा 360 अभियोजन वापस लेना।

धारा 361 जिन मामलों को निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, उनमें प्रक्रिया।

धारा 362 प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात् मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए।

धारा 363 सिक्के, स्टाम्प विधि या सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए तत्पूर्व दोषसिद्ध व्यक्तियों का विचारण।

धारा 364 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता।

धारा 365 भागतः एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्ध या सुपुर्दगी।

धारा 366 न्यायालयों का खुला होना।

अध्याय 27
मानसिक रुग्ण अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध

धारा 367 अभियुक्त के मानसिक रुग्ण होने की दशा में प्रक्रिया।

धारा 368 न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के मानसिक रुग्ण होने की दशा में प्रक्रिया।

धारा 369 अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक मानसिक रुग्ण व्यक्ति का छोड़ा जाना।

धारा 370 जांच या विचारण को पुनः चालू करना।

धारा 371 मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया।

धारा 372 जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थचित रहा है।

धारा 373 मानसिक रुग्णता के आधार पर दोष-मुक्ति का निर्णय।

धारा 374 ऐसे आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना।

धारा 375 भारसाधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति।

धारा 376 जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि मानसिक रुग्ण बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने मे समर्थ है वह प्रक्रिया।

धारा 377 जहां निरुद्ध मानसिक रुग्ण व्यक्ति छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है वहां प्रक्रिया।

धारा 378 नातेदार या मित्र की देख-रेख के लिए मानसिक रुग्ण व्यक्ति का सौंपा जाना।

अध्याय 28
न्याय-प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध

धारा 379 धारा 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया।

धारा 380 अपील।

धारा 381 खर्चे का आदेश देने की शक्ति।

धारा 382 जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया।

धारा 383 मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया।

धारा 384 अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया।

धारा 385 जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 384 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए वहां प्रक्रिया।

धारा 386 रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

धारा 387 माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन।

धारा 388 उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इंकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी।

धारा 389 समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया।

धारा 390 धारा 383, 384, 388 और 389 के अधीन दोषसिद्धियों से अपीलें।

धारा 391 कुछ न्यायालधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना।

अध्याय 29
निर्णय

धारा 392 निर्णय।

धारा 393 निर्णय की भाषा और अन्तर्वस्तु।

धारा 394 पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश।

धारा 395 प्रतिकर देने का आदेश।

धारा 396 पीड़ित प्रतिकर स्कीम।

धारा 397 पीड़ितो का उपचार।

धारा 398 साक्षी संरक्षण स्कीम।

धारा 399 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर।

धारा 400 असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश।

धारा 401 सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने का आदेश।

धारा 402 कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना।

धारा 403 न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना।

धारा 404 अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना।

धारा 405 निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा।

धारा 406 सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना।

अध्याय 30
मृत्यु दंडादेशों का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना

धारा 407 सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना।

धारा 408 अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निदेश देने की शक्ति।

धारा 409 दंडादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति।

धारा 410 नए दंडादेश की पुष्टि का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना।

धारा 411 मतभेद की दशा में प्रक्रिया।

धारा 412 उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया।

अध्याय 31
अपीलें

धारा 413 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना।
धारा 414 परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभू स्वीकार करने से इंकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील।
धारा 415 दोषसिद्ध से अपील।
धारा 416 कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवाचन करें, अपील न होना।
धारा 417 छोटे मामलों में अपील न होना।
धारा 418 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील।
धारा 419 दोषमुक्ति की दशा में अपील।
धारा 420 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील।
धारा 421 कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार।
धारा 422 सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी।
धारा 423 अपील की अर्जी।
धारा 424 जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया।
धारा 425 अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना।
धारा 426 संक्षेपतः खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया।
धारा 427 अपील न्यायालय की शक्तियां।
धारा 428 अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय।
धारा 429 अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना।
धारा 430 अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलम्बन, अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना।
धारा 431 दोषमुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी।
धारा 432 अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निदेश दे सकेगा।
धारा 433 जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप में विभाजित हो, वहां प्रक्रिया।
धारा 434 अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना।
धारा 435 अपीलों का उपशमन।

अध्याय 32
निर्देश और पुनरीक्षण

धारा 436 उच्च न्यायालय को निर्देश।
धारा 437 उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले को निपटारा।
धारा 438 पुनरीक्षण की शक्तियां का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना।
धारा 439 जांच करने का आदेश देने की शक्ति।
धारा 440 सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां।
धारा 441 अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति।
धारा 442 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां।
धारा 443 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति।
धारा 444 पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प।
धारा 445 उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना।

अध्याय 33
आपराधिक मामलों का अंतरण

धारा 446 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति।
धारा 447 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति।
धारा 448 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति।
धारा 449 सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना।
धारा 450 न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना।
धारा 451 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना।
धारा 452 कारणों का अभिलिखित किया जाना।

अध्याय 34
दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण

क—मृत्यु दंडादेश

धारा 453 धारा 409 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन।
धारा 454 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन।
धारा 455 उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का मुल्तवी किया जाना।
धारा 456 गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड का मुल्तवी किया जाना।

ख—कारावास

धारा 457 कारावास का स्थान नियल करने की शक्ति।
धारा 458 कारावास के दंडादेश का निष्पादन।
धारा 459 निष्पादन के लिए वारंट का निदेशन।
धारा 460 वारंट किसको सौंपा जाएगा।

ग—जुर्माने का उद्ग्रहण

धारा 461 जुर्माना उद्गृहीत करने के लिए वारंट।
धारा 462 ऐसे वारंट का प्रभाव।
धारा 463 जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, जारी किया गया वारंट।
धारा 464 कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन।

घ—निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध

धारा 465 वारंट कौन जारी कर सकेगा।
धारा 466 निकल भागे सिद्धदोष पर दंडादेश कब प्रभावशील होगा।
धारा 467 ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दंडादिष्ट है।
धारा 468 अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना।
धारा 469 व्यावृत्ति।
धारा 470 दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना।
धारा 471 जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसको जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकना।

ङ—दण्डादेश का निलंबन, परिहार और लघुकरण

धारा 472 मृत्यु दंडादेश मामलों में दया याचिका।

धारा 473 दंडादेशों का निलम्बन या परिहार करने की शक्ति।

धारा 474 दंडादेश के लघुकरण की शक्ति।

धारा 475 कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बन्धन।

धारा 476 मृत्यु दंडादेशों की दशा में केन्द्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति।

धारा 477 कुछ मामलों में राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् कार्य करना।

अध्याय 35
जमानत और बंधपत्रों के बारे मे उपबंध

धारा 478 किन मामलों में जमानत ली जाएगी।

धारा 479 अधिकतम अवधि, जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है।

धारा 480 अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी।

धारा 481 अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समख उपसंजात होने की अपेक्षा के लिए जमानत।

धारा 482 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले शक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निदेश।

धारा 483 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां।

धारा 484 बंधपत्र की रकम और उसे घटाना।

धारा 485 अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र।

धारा 486 प्रतिभुओं द्वारा घोषणा।

धारा 487 अभिरक्षा से उन्मोचन।

धारा 488 जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति।

धारा 489 प्रतिभुओं का उन्मोचन।

धारा 490 मुचलके के बजाय निक्षेप।

धारा 491 प्रक्रिया, जब बंधपत्र समपहृत कर लिया जाता है।

धारा 492 बंधपत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण।

धारा 493 प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंधपत्र का समपहरण हो जाने की दशा में प्रक्रिया।

धारा 494 अवयस्क से अपेक्षित बंधपत्र।

धारा 495 धारा 491 के अधीन आदेशों से अपील।

धारा 496 कुछ मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निदेश देने की शक्ति।

अध्याय 36
सम्पत्ति का व्ययन

धारा 497 कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक सम्पत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश।

धारा 498 विचारण की समाप्ति पर सम्पत्ति के व्ययन के लिए आदेश।

धारा 499 अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय।

धारा 500 धारा 498 या धारा 499 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील।

धारा 501 अपमानलेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना।

धारा 502 स्थावर सम्पत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति।

धारा 503 सम्पत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया।

धारा 504 जहां छह मास के अंदर कोई दावेदार हाजिर न हो वहां प्रक्रिया।

धारा 505 विनश्वर सम्पत्ति को बेचने की शक्ति।

अध्याय 37
अनियमित कार्यवाहियां

धारा 506 वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती।

धारा 507 वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती है।

धारा 508 गलत स्थान में कार्यवाही।

धारा 509 धारा 183 या धारा 316 के उपबंधों का अनुपालन।

धारा 510 आरोप विचचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव।

धारा 511 निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा।

धारा 512 त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना।

अध्याय 38
कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा

धारा 513 परिभाषा।

धारा 514 परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जन।

धारा 515 परिसीमा-काल का प्रारंभ।

धारा 516 कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन।

धारा 517 जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन।

धारा 518 चालू रहने वाला अपराध।

धारा 519 कुछ दशाओं में परिसीमा-काल का विस्तारण।

अध्याय 39
प्रकीर्ण

धारा 520 उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण।

धारा 521 सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान आफिसरों को सौंपा जाना।

धारा 522 प्ररूप।

धारा 523 उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति।

धारा 524 कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति।

धारा 525 वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है।

धारा 526 विधि-व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना।

धारा 527 विक्रय से संबद्ध लोक सेवक का सम्पत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना।

धारा 528 उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति।

धारा 529 न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य।

धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना।

धारा 531 निरसन और व्यावृतियां।

अनुसूची 1 .... अपराधों का वर्गीकरण

अनुसूची 2 .... प्ररूप

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्या-47) **[25 दिसम्बर 2023]**

भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित

भाग 1 तथ्यों की सुसंगति

अध्याय 1
प्रारंभिक

धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना।
धारा 2 परिभाषाएं।

अध्याय 2
तथ्यों की सुसंगति के विषय में

धारा 3 विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा।
धारा 4 एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति।
धारा 5 वे तथ्य, जो विवाद्यक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम है।
धारा 6 हेत, तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण।
धारा 7 सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य।
धारा 8 सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें।
धारा 9 वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है।
धारा 10 नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय की समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत है।
धारा 11 जब कि अधिकार या रुढ़ि प्रश्नगत है, तब सुसंगत तथ्य।
धारा 12 मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य।
धारा 13 कार्य आकस्मिक या साशय था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य।
धारा 14 कारबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है।

स्वीकृतियाँ

धारा 15 स्वीकृति की परिभाषा।
धारा 16 स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा।
धारा 17 उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए।
धारा 18 वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां।
धारा 19 स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना।
धारा 20 दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है।
धारा 21 सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती है।
धारा 22 उत्प्रेरण, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है।
धारा 23 पुलिस आफिसर से की गई संस्वीकृति।
धारा 24 साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना।
धारा 25 स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किन्तु विबंध कर सकती है।

उन व्यक्तियों का कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता

धारा 26 वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि।
धारा 27 किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चात्वर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति।

विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन

धारा 28 लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत है।
धारा 29 कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिकी अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति।
धारा 30 मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति।
धारा 31 किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति।
धारा 32 विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति।

किसी कथन में से कितना साबित किया जा सकता है

धारा 33 जबकि, कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागजपत्रों की आवली का भाग हो तब क्या साक्ष्य दिया जाए।

न्यायालयों निर्णय कब सुसंगत है

धारा 34 द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्य पूर्व निर्णय सुसंगत है।
धारा 35 प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति।
धारा 36 धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव।
धारा 37 धाराओं 34, 35 और 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत है।
धारा 38 निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुस्संधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी।

अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है

धारा 39 विशेषज्ञों की राय।
धारा 40 विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य।
धारा 41 हस्तलेख और डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है।
धारा 42 साधारण रुढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में रायें कब सुसंगत है।
धारा 43 प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में रायें कब सुसंगत है।
धारा 44 नातेदारी के बारे में रायें कब सुसंगत है।
धारा 45 राय के आधार कब सुसंगत है।

शील कब सुसंगत है

धारा 46 सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है।
धारा 47 दाण्डिक मामलों में प्रवर्तन अच्छा शील सुसंगत है।

धारा 48 कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना।
धारा 49 उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है।
धारा 50 नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील।

भाग 2 सबूत के विषय

अध्याय 3
तथ्य, जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है

धारा 51 न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है।
धारा 52 वे तथ्य, जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय करेगा।
धारा 53 स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है।

अध्याय 4
मौखिक साक्ष्य के विषय में

धारा 54 मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना।
धारा 55 मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए।

अध्याय 5
दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में

धारा 56 दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत।
धारा 57 प्राथमिक साक्ष्य।
धारा 58 द्वितीयक साक्ष्य।
धारा 59 दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना।
धारा 60 अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा।
धारा 61 इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख।
धारा 62 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध।
धारा 63 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता।
धारा 64 पेश करने की सूचना के बारे में नियम।
धारा 65 जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना।
धारा 66 इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक के बारे में सबूत।
धारा 67 ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना, जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है।
धारा 68 जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले, तब सबूत।
धारा 69 अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति।
धारा 70 जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, तब सबूत।
धारा 71 उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है।
धारा 72 हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृति या साबित है।
धारा 73 इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक के सत्यापन के बारे में सबूत।

लोक दस्तावेज

धारा 74 लोक एवं प्राइवेट दस्तावेज।
धारा 75 लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।
धारा 76 प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत।
धारा 77 अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत।
धारा 78 प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा।
धारा 79 साक्ष्य, आदि के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा।
धारा 80 राजपत्रों, समाचारपत्रों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा।
धारा 81 इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्र के बारे में उपधारणा।
धारा 82 सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा।
धारा 83 विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा।
धारा 84 मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा।
धारा 85 इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपधारणा।
धारा 86 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक चिह्न के बारे में उपधारणा।
धारा 87 इलेक्ट्रॉनिक चिह्नक प्रमाणपत्रों के बारे में उपधारणा।
धारा 88 विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा।
धारा 89 पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा।
धारा 90 इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा।
धारा 91 पेश न किए गए दस्तावेजों के सम्यक् निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा।
धारा 92 तीस वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा।
धारा 93 पांच वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा।

अध्याय 6
दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में

धारा 94 दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबंधनों का साक्ष्य।
धारा 95 मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन।
धारा 96 संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन।
धारा 97 विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन।
धारा 98 विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य।
धारा 99 उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है।
धारा 100 तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीकठीक लागू नहीं होती, उसमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य।
धारा 101 न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य।
धारा 102 दस्तावेज के निबंधनों में फेरफरार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा।
धारा 103 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति।

भाग 4 साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव

अध्याय 7
सबूत के भार के विषय में

धारा 104 सबूत का भार।
धारा 105 सबूत का भार किस पर होता है।
धारा 106 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार।
धारा 107 साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार।

धारा 108 यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है।
धारा 109 विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार।
धारा 110 उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है।
धारा 111 यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है।
धारा 112 भागीदारों, भूस्वामी और अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार।
धारा 113 स्वामित्व के बारे में सबूत का भार।
धारा 114 उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है।
धारा 115 कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा।
धारा 116 विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है।
धारा 117 किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा।
धारा 118 दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा।
धारा 119 न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा।
धारा 120 बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने की उपधारणा।

अध्याय 8
विबन्ध

धारा 121 विबंध।
धारा 122 अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध।
धारा 123 विनिमयपत्र के प्रतिगृहीता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबंध।

अध्याय 9
साक्षियों के विषय में

धारा 124 कौन साक्ष्य दे सकेगा।
धारा 125 साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना।
धारा 126 कतिपय मामलों में पति और पत्नी की साक्षी के रूप में सक्षमता।
धारा 127 न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट।
धारा 128 विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं।
धारा 129 राज्य का कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य।
धारा 130 शासकीय संसूचनाएं।
धारा 131 अपराधों के करने के बारे में जानकारी।
धारा 132 वृत्तिक संसूचनाएं।
धारा 133 साक्ष्य देने के लिए स्वयंमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभिव्यक्त नहीं हो जाता।
धारा 134 विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं।
धारा 135 जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हकविलेखों का पेश किया जाना।
धारा 136 ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इंकार कर सकेगा।
धारा 137 इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा।
धारा 138 सहअपराधी।
धारा 139 साक्षियों की संख्या।

अध्याय 10
साक्षियों की परीक्षा के विषय में

धारा 140 साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम।
धारा 141 न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चम करेगा।
धारा 142 साक्षियों का परीक्षण।
धारा 143 परीक्षाओं का क्रम।
धारा 144 किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा।
धारा 145 शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी।
धारा 146 सूचक प्रश्न।
धारा 147 लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य।
धारा 148 पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा।
धारा 149 प्रतिपरीक्षा के विधिपूर्ण प्रश्न।
धारा 150 साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए।
धारा 151 न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा।
धारा 152 युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा।
धारा 153 युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया।
धारा 154 अशिष्ट और कलंकात्ममक प्रश्न।
धारा 155 अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशियत प्रश्न।
धारा 156 सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खण्डन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन।
धारा 157 पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न।
धारा 158 साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप।
धारा 159 सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की सम्पुष्टि करने की प्रवृत्ति वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे।
धारा 160 उसी तथ्य के बारे में पश्चात्वर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्ष्य के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे।
धारा 161 साबित कथन के बारे में, जो कथन धारा 26 या 27 के अधीन सुसंगत है, कौन सी बातें साबित की जा सकेगी।
धारा 162 स्मृति ताजी करना।
धारा 163 धारा 162 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य।
धारा 164 स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार।
धारा 165 दस्तावेजों का पेश किया जाना।
धारा 166 मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना।
धारा 167 सूचना पाने पर जिसे दस्तावेज के पेश करने से इंकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना।
धारा 168 प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति।

अध्याय 11
साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में

धारा 169 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा।

अध्याय 12
निरसन और व्यावृत्ति

धारा 170 निरसन और व्यावृत्ति।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860

अपराध एवं दण्ड

अपराध की परिभाषा

ब्लैकस्टोन के अनुसार–

निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोप अपराध है।

केनी के अनुसार–

अपराध ऐसा दोष हैं जिसमें अनुशास्ति दण्डात्मक होती है जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है तथा यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा।

स्टीफेन के अनुसार–

अपराध विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर एक कार्य है।

विधि विद्वानों ने अपराध और दण्ड के निर्धारण के लिए दो सूत्रों को प्रतिपादित किया–

(i) Nullum crimen sine lege
(ii) Nulla Poena sine lege

Nullum crimen Sine lege- कोई कार्य तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आता जब तक वह किसी विधि के अन्तर्गत अपराध के रूप में उद्घोषित नहीं कर दिया जाता।

Nulla Poena Sine lege –किसी व्यक्ति को ऐसे काम के लिए दण्डित नहीं किया जा सकता, जो विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है।

'उपर्युक्त सूत्रों' की निम्न आधारों पर व्याख्या की जाती है–

- **दाण्डिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होना चाहिए**– दण्ड विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होना चाहिए अर्थात् विधि निर्माण के उपरान्त आने वाले समय से ही इसे लागू किया जाना चाहिए।
- **दाण्डिक विधि की कठोर व्याख्या**– दाण्डिक विधि की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए। चूंकि सभी दाण्डिक विधियाँ प्रजाजनों की स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं इसलिए उनकी कठोर व्याख्या होनी ही चाहिए। न्यायालय द्वारा दाण्डिक विधि के प्रयुक्त शब्दों को तोड़-मरोड़कर उनकी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए।
- **विधि की निश्चितता**– विधि निश्चित होनी चाहिए जिससे कि निर्णय सुनाते समय न्यायाधीश के मन में किसी प्रकार का सन्देह न हो।
- **विधि का अभिगम्य**– विधि ऐसी होनी चाहिए जिसे लोग स्वीकार कर सकें और इसकी पहुंच जनमानस तक सुनिश्चित होनी चाहिए।
- **अपराध के तत्व–**अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं–
  1. मानव (Human being)
  2. दुराशय (Mens rea) या आपराधिक मनःस्थिति
  3. आपराधिक कृत्य (Actus reus)
  4. क्षति (Injury)

''किसी आपराधिक कार्य में उपर्युक्त चारो तत्वों का विद्यमान होना आवश्यक होता है।''

- **मानव–**
  आपराधिक तत्व के रूप में प्रथम तत्व मानव है। दण्ड विधि में इसका कोई अपवाद नहीं है क्योंकि अपराध, मात्र मनुष्य ही कर सकता है और अन्य कोई प्राणी नहीं।
- **दुराशय–**
  ''मात्र कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नही बनाता है, जब तक कि उसका मन अपराधी न हो'' (Actus non facit reum nisi mens sit rea) अर्थात दुराशय के अभाव में किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होता है।
- मनःस्थिति पर प्रमुख वाद
  1. आर. बनाम प्रिंस
  2. क्वीन बनाम टाल्सन
  3. शेराज बनाम डी. रूटजन
  4. नाथूलाल बनाम म.प्र. राज्य
  5. महाराष्ट्र राज्य बनाम एम.एच. जार्ज
  6. हार्डिंग बनाम प्राइस
  7. होब्स बनाम विन्चस्टर कारपोरेशन
- **आपराधिक कृत्य–**
  मानव मन में उपस्थित दुराशय मात्र से अपराध का गठन नहीं होगा, जब तक कि दुराशय को पूरा करने के लिए कोई कार्य या अवैध लोप न किया जाए। एक कृत्य के अन्तर्गत अवैध लोप भी शामिल है।
- **क्षति–**
  भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 44 के अनुसार, 'क्षति' शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है, जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या सम्पत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो।

अपराध के चरण–

अपराध सामान्यतया चार चरणों में पूर्ण होता है–

1. आशय, 2. तैयारी, 3. प्रयत्न और 4. अपराध का निष्पादन।

1. **आशय**–आशय अपराध का प्रथम चरण है। कोई भी अपराध बिना आशय के नहीं होता और यदि होता भी है तो वह दुर्घटना या दुर्भाग्य के कारण क्षमा करने योग्य होता है। अपराध का प्रथम चरण अर्थात् आशय दण्डनीय नहीं होता है।
2. **तैयारी**–अपराध का दूसरा चरण तैयारी होता है। अपराध करने के तैयारी मात्र से व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाता है, जब तक कि वह उस कृत्य को किसी न किसी सीमा तक पूरा करने का प्रयत्न न करे।
3. **प्रयत्न**–अपराध का तीसरा चरण प्रयत्न होता है। प्रयत्न शुरू करते ही अपराध प्रारम्भ हो जाता है, चाहे भले ही प्रयत्न पूरा हो या न हो। अपराध करने का प्रयत्न दण्डनीय अपराध है।
4. **निष्पादन**–अपराध का निष्पादन अपराध करने का अंतिम चरण है। इस अवस्था में आपराधिक कृत्य का क्रियान्वयन किया जाता है।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860
(1860 का अधिनियम संख्या 45)
गवर्नर जनरल की अनुमति - 6 अक्टूबर, 1860
प्रवर्तन की तिथि - 1 जनवरी, 1862
भारतीय दण्ड संहिता का प्रारूप तैयार किया – लार्ड मैकाले ने
उद्देशिका–भारत के लिए एक साधारण दण्ड संहिता का उपबंध करना समीचीन है।
भारतीय दण्ड संहिता में 23 अध्याय व 511 धारायें हैं।

प्रस्तावना
अध्याय 1 (धारा 1-5)

धारा 1- संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार- यह अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होगा।

धारा 2- भारत के भीतर किए गए अपराधों का दण्ड- प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दण्डनीय होगा अन्यथा नहीं।

धारा 3- भारत के बाहर किए गए किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति जो भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो,उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा, मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था।

धारा 4- राज्यक्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार – इस संहिता के उपबंध –

(1) भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा,

(2) भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा, किये गये किसी अपराध को भी लागू है।

(3) कोई व्यक्ति किसी स्थान में भारत से बाहर और परे कोई अपराध, भारत में स्थित कम्प्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कारित करता है।

दृष्टांत- क, जो भारत का नागरिक है, उगाण्डा में हत्या करता है। वह भारत के किसी स्थान में, जहाँ वह पाया जाए, हत्या के लिए विचारित और दोषसिद्ध किया जा सकता है।

धारा 5 के अनुसार भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायुसैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दण्डित करने वाले किसी अधिनियम के उपबन्धों, या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबन्धों, पर भारतीय दंड संहिता प्रभाव नहीं डालेगी।

साधारण स्पष्टीकरण
अध्याय 2 (धारा 6-52A)

धारा 8- **लिंग-** पुल्लिंग वाचक शब्द हर व्यक्ति को लागू है चाहे वह वह नर हो या नारी।

धारा 9 - **वचन-**एकवचन के अंतर्गत बहुवचन, और बहुवचन शब्दों कें अंतर्गत एकवचन आते हैं।

धारा 10 **''पुरुष/स्त्री''** - पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है, स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है।

धारा 11 - 'व्यक्ति' – कोई भी कम्पनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है।

धारा 12 - 'लोक' को परिभाषित किया गया है।

धारा 14 - सरकार का सेवक परिभाषित किया गया है।

धारा 17 - सरकार को परिभाषित किया गया है।

धारा 18 - 'भारत' को परिभाषित किया गया है।

धारा 19 - 'न्यायाधीश' को परिभाषित किया गया है।

धारा 20 - 'न्यायालय' को परिभाषित किया गया है।

धारा 21 - 'लोक सेवक' को परिभाषित किया गया है।

धारा 22 - 'जंगम संपत्ति' को परिभाषित किया गया है।

धारा 23- 'सदोष अभिलाभ', 'सदोष हानि' को परिभाषित किया गया है।

धारा 24 - 'बेईमानी से' को परिभाषित किया गया है।

धारा 25 - 'कपटपूर्वक' को परिभाषित किया गया है।

धारा 26 - विश्वास करने का कारण परिभाषित किया गया है।

धारा 27 - पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में सम्पत्ति।

धारा 28 - 'कूटकरण' को परिभाषित किया गया है।

धारा 29 - 'दस्तावेज' को परिभाषित किया गया है।

धारा 29A- इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है।

धारा 30 - 'मूल्यवान प्रतिभूति' को परिभाषित किया गया है।

धारा 31 - विल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है।

धारा 32 - कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अन्तर्गत अवैध लोप आता है।

धारा 33 - 'कार्य', 'लोप' को परिभाषित किया गया है।

धारा 34 - धारा 34 सामान्य आशय से सम्बन्धित है, जिसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं–

1– एक आपराधिक कृत्य हो,

2– आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो।

3– आपराधिक कृत्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु किया गया हो,

4– ऐसे व्यक्तियों के मध्य सामान्य आशय पूर्व निर्धारित योजना के अन्तर्गत हो,

5– अपराध के सभी अभियुक्तों का किसी न किसी रूप में सम्मिलित होना आवश्यक है,

6– अपराध घटित होते समय सभी अभियुक्तों की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, परन्तु सभी मामलों में नहीं।

धारा 34 के महत्वपूर्ण वाद–

1. महबूब शाह बनाम एम्परर, (सिन्धु घाटी वाद)
2. वारेन्द्र कुमार घोष बनाम इम्परर (पोस्टमास्टर, हत्या वाद)
3. श्री कांतिया बनाम बम्बई राज्य
4. जे.एम. देसाई बनाम बम्बई राज्य

सामान्य आशय का अर्थ– पूर्व नियोजित योजना के अनुसार एक ही उद्देश्य के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। पूर्व निर्धारित योजना सामान्य आशय में अन्तर्निहित है।

- **महबूब शाह बनाम इम्परर** के वाद में सामान्य आशय और समान आशय के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है।
- **वारेन्द्र कुमार घोष बनाम एम्परर** के वाद में **लार्ड समनर** ने कहा कि, ''वे भी कार्य करते है जो खड़े रहते है और प्रतीक्षा करते हैं।''

  गिरिजा शंकर बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. (2004)–धारा 34 केवल साक्ष्य का नियम है, यह किसी मूल अपराध का सृजन नहीं करता है।

धारा 35 - जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है।

धारा 36 - अंशतः कार्य द्वारा तथा अंशतः लोप द्वारा अपराध कारित किया जाना।

धारा 37 - किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना।

धारा 38 - आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे।

धारा 39 - स्वेच्छया को परिभाषित किया गया है।

- भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 40** में अपराध को परिभाषित किया गया है।

धारा 41 के अनुसार ''विशेष विधि'' वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो।

धारा 42 के अनुसार ''स्थानीय विधि'' वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो।

धारा 43- अवैध शब्द के अंतर्गत प्रत्येक कार्य आता है, जो–
(1) अपराध हो,
(2) विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो,
(3) सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो।

धारा 44 - क्षति किसी भी प्रकार की अपहानि का द्योतक है, जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या सम्पत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो।

धारा 45 - जीवन शब्द मानव के जीवन का द्योतक है।

धारा 46 - मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है।

धारा 47 - जीव जन्तु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक है।

धारा 48 - जलयान को परिभाषित किया गया है।

धारा 49 - वर्ष/मास को परिभाषित किया गया है।

धारा 50 - धारा को परिभाषित किया गया है।

धारा 51 - शपथ को परिभाषित किया गया है।

धारा 52 - **सद्भावपूर्वक-** जो बात सम्यक् सतर्कता और ध्यान से की जाती है उसे सद्भावपूर्वक किया हुआ कहा जाता है।

धारा 52-क- में 'संश्रय' को परिभाषित किया गया है।

दण्डों के विषय में
अध्याय 3 (धारा 53-75)

धारा 53 ''दण्ड'' - अपराधी इस संहिता के उपबन्धों के अधीन जिन दण्डों से दण्डनीय है, वे ये हैं–

पहला- मृत्यु दण्ड

दूसरा- आजीवन कारावास

तीसरा - कारावास, जो दो भाँति का है, अर्थात् :

(1) कठिन, अर्थात् कठोर श्रम के साथ;

(2) सादा;

चौथा - सम्पत्ति का समपहरण;

पाँचवाँ - जुर्माना।

- **भारतीय दण्ड संहिता में निम्नलिखित अपराधों के लिए मृत्यु दण्ड का प्रावधान है–**

1– भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, या करने के लिए प्रयत्न करना, या दुष्प्रेरण करना (धारा 121)
2– विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए (धारा 132)
3– मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना जिससे निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदण्ड हो जाए (धारा 194)
4– हत्या (धारा 302)
5– आजीवन कारावास के अपराधी द्वारा हत्या करना (धारा 303)

नोट– मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य (1983 S.C.) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया।

6– बालक, पागल या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना (धारा 305)
7– हत्या सहित डकैती (धारा 396)
8– आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या करने का प्रयत्न जिसमें उपहति कारित हुई हो (धारा 307)
9– फिरौती (Ransom) इत्यादि के लिए व्यपहरण (धारा 364 A)
10- पीड़िता की मृत्यु कारित करने या लगातार निष्क्रिय स्थिति में बने रहने के परिणाम उत्पन्न करने के लिए दण्ड - धारा 376 A
11- 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग (धारा 376 A B)
12- 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग (धारा 376 D B)
13- पुनरावृत्त अपराध के लिए दण्ड(धारा 376 E)

धारा 54 **मृत्यु दण्डादेश का लघुकरण –** हर मामले में जिसमें मृत्यु का दण्डादेश दिया गया हो उस दण्ड को अपराधी की सम्मति के बिना भी **समुचित सरकार** इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दण्ड में लघुकृत कर सकेगी।

धारा 55 **आजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण**- हर मामले में, जिसमें आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी **समुचित सरकार (केन्द्र व राज्य सरकार)** उस दण्ड को ऐसी अवधि के लिए, जो चौदह वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी भाँति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी।

धारा 55A समुचित सरकार की परिभाषा।

धारा 57 के अन्तर्गत दण्डावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा।

धारा 60 दण्डादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा।

धारा 63 के अन्तर्गत जहाँ जुर्माने की रकम अभिव्यक्त नहीं की गई है वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है, वह अमर्यादित है किन्तु अत्यधिक नहीं होगी।

धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दण्डादेश से सम्बन्धित है।

धारा 65 के अनुसार, जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किये जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि एक-चौथाई से अधिक न होगी, जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है।

धारा 67 के अंतर्गत, यदि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करें, सादा होगा। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निदेश निम्न मापमान के अनुसार देगा यदि जुर्माना–
50 रुपये तक- दो मास तक का कारावास,
100 रुपये तक- चार मास तक का कारावास,
किसी अन्य दशा में - छह मास तक का कारावास।

धारा 68 जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना।

धारा 73 के अुनसार, अपराधी को निम्न मापमान के अनुसार **एकान्त परिरोध** में रखा जाएगा, यदि कारावास–
छह मास से अधिक न हो - एक मास तक
छह मास से अधिक और एक वर्ष तक - दो मास तक
एक वर्ष से अधिक - तीन मास तक

धारा 74 के अुनसार, एकान्त परिरोध के दण्डादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी एक बार में चौदह दिन से अधिक न होगा। जब दिया गया कारावास तीन मास से अधिक हो, तब दिए सम्पूर्ण कारावास से किसी एक मास में एकान्त परिरोध सात दिन से अधिक न होगा।

साधारण अपवाद
अध्याय-4 (धारा 76 से 106)

धारा 76-95 तक की धाराएं क्षमा योग्य बचावों से सम्बन्धित है।

धारा 96-106 तक की धाराएं प्राइवेट प्रतिरक्षा से सम्बन्धित हैं।

धारा 76 के अनुसार, कोई बात अपराध नहीं है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है।

- तथ्य की भूल आपराधिक दायित्व के विरुद्ध अच्छा बचाव है परंतु विधि की भूल बचाव नहीं है।

धारा 77 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है, जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है।

धारा 78 के अन्तर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है।
एक जल्लाद जो मृत्युदण्ड निष्पादित करता है भारतीय दण्ड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है।

धारा 79 के अन्तर्गत विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है।

Ignorantia facit excusat, ignoranita juris non excusat (तथ्य सम्बन्धी भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है) यह लैटिन सूत्र धारा 76 और 79 पर आधारित है।

धारा 80 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना से सम्बन्धित है। जिसके आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं–
1– कार्य दुर्घटना या दुर्भाग्यवश हो।
2– कार्य अपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो।
3– कार्य विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा किया गया हो।
4– कार्य उचित सतर्कता और सावधानी के साथ किया गया हो।

उदाहरण– क कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल कर उछल जाता है और निकट खड़ा व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ यदि क की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है।

धारा 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति से सम्बन्धित है। **आर. बनाम डडले एंड स्टीफेन, ब्राउनिंग बनाम स्टेट, विशम्भर बनाम रूमल का वाद धारा 81 पर महत्वपूर्ण है।**

धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया जाए। अर्थात सात वर्ष से कम आयु का कोई शिशु विधि की दृष्टि में अपराध करने में अक्षम (Doli incapax) होता है।

धारा 83 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके।

धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य से सम्बन्धित है। विकृतचित्त से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो स्वस्थचित्त का नहीं है। ऐसे व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं–
1– जड़,
2– ऐसा व्यक्ति जो किसी बीमारी के कारण विकृतचित्त हो गया हो,
3– उन्मत्त या पागल,
4– मत व्यक्ति।

आर. बनाम मैक्नाटन (1843) का वाद विकृतचित्तता से सम्बन्धित है।

धारा 85 अनैच्छिक मत्तता के आधार पर आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति का प्रावधान करती है। **डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसीक्यूशन बनाम बियर्ड का वाद धारा 85 से सम्बन्धित हैं**

धारा 86 स्वैच्छिक मत्तता से सम्बन्धित है। **वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का वाद धारा 86 पर महत्वपूर्ण वाद है।**

धारा 87 सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी सम्भाव्यता का ज्ञान हो, से सम्बन्धित है।

अपवाद–
- सहमति (स्पष्ट या विवक्षित) देने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का हो।
- कार्य मृत्यु या गंभीर चोट कारित करने के आशय से न किया गया हो और न ही कर्त्ता को इसकी सम्भावना का ज्ञान हो।

धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य, जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, अपराध नहीं है।

सुकरू कविराज का मामला धारा 88 से सम्बन्धित है।

धारा 89 - संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु (12 वर्ष से कम आयु) या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है।

धारा 90 के अनुसार, क्षति के भय या तथ्य के भ्रम के अधीन या विकृतचित्तता अथवा मत्तता में, अथवा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा दी गई सहमति 'स्वतंत्र सहमति' नहीं होगी।

धारा 91 - धारा 87, 88 और 89 का बचाव उन कार्यों पर नहीं है, जो स्वतः अपराध है।
उदाहरण–गर्भपात कराना।

धारा 92- सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है।

धारा 93- सद्भावपूर्वक दी गयी संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गयी हो।

धारा 94- के अनुसार हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं, छोड़कर वह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु की तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के फलस्वरूप करता है, अपराध नहीं होगा।

इस धारा का आधार लैटिन सूत्र "Actus me invito factus non est mens actus" है जिसका अर्थ है "मेरे द्वारा मेरे इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है।"

- **"de minimis non curat lex"** का सिद्धांत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 95 में समाविष्ट है, जिसका अर्थ है कि "विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती"

प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार
धारा 96–106

धारा 96 - कोई बात अपराध नहीं है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है।

धारा 97 - हर व्यक्ति को शरीर तथा सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है।

धारा 98 - के अधीन ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है जिसका कार्य –

1– बालकपन के कारण अपराध नहीं है।
2– समझ की परिपक्वता के अभाव में अपराध नहीं है।
3– चित्तविकृत्ति या मत्तता के कारण अपराध नहीं है।
4– उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण अपराध नहीं है।

धारा 99- कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है-

1- यदि उस कार्य से मृत्यु या घोर उपहित की आशंका युक्तियुक्ति रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए, **लोकसेवक द्वारा** या **लोकसेवक के निदेश से** किया जाता है या किये जाने का प्रयत्न किया जाता है।

2- जहाँ पर संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है।

3- किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है, जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है अर्थात् आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग नहीं किया जा सकता।

धारा 100 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की स्वेच्छया मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है–

पहला– ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्ति रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा।

दूसरा– ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्ति रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर-उपहति होगा।

तीसरा– बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला।

चौथा– प्रकृति–विरुद्ध काम-तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला।

पांचवा– व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला।

छठा– सदोष परिरोध के लिए किया गया हमला।

सातवॉ– तेजाब फेकने या देने का कार्य या उसका प्रयत्न, जो युक्तियुक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न कर सकेगा कि घोर- उपहति अन्यथा ऐसे कार्य का परिणाम होगा।

धारा 103 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक है–

- लूट
- रात्रौ गृहभेदन
- अग्नि द्वारा रिष्टि
- चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका हो।
- अग्नि अथवा किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित रिष्टि (उ.प्र. संशोधन)

धारा 106- के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में निर्दोष व्यक्ति की भी मृत्यु कारित की जा सकती है, यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप से न कर सकता हो।

दुष्प्रेरण
अध्याय - 5 (धारा 107-120)

धारा 107 के अन्तर्गत दुष्प्रेरण निम्न तीन प्रकार से किया जा सकता है–

1– उकसाने द्वारा
2– षड्यंत्र के माध्यम से तथा
3– साशय सहायता द्वारा ।

एम्परर बनाम उमी, मोहित पाण्डे का मामला महत्वपूर्ण है।

धारा 108 - दुष्प्रेरक की परिभाषा

- किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा।

- दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए।
- यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो।
- अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है।

धारा 108A- भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण।

धारा 109 - दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य कर दिया जाता है- वह उस दण्ड से दण्डित किया जायेगा, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है।

धारा 111 - दुष्प्रेरित कार्य के अधिसंभाव्य परिणाम के बारे में बताया गया है।

धारा 114 - यदि दुष्प्रेरण का अपराध करते समय दुष्प्रेरक भी वहाँ उपस्थित हो तो यह समझा जायेगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है।

धारा 117 - लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण।

धारा 118 - मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।

धारा 120 - कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।

आपराधिक षड्यंत्र
अध्याय 5A (धारा 120A-120B)

धारा 120 क में आपराधिक षड्यन्त्र की परिभाषा दी गई है।

- **धारा 120क** के तहत अकेला व्यक्ति दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।
- **धारा 120क** के तहत अवैध कार्य करने की सहमति मात्र ही दण्डनीय है।

अवैध के अंतर्गत आता है–

1. जो अपराध हो,
2. जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो,
3. जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करता हो।

धारा 120ख में आपराधिक षडयंत्र के लिए दण्ड दिया गया है।

विनायक दामोदर सावरकर का वाद, नासिक षडयंत्र के नाम से जाना जाता है।

राज्य के विरुद्ध अपराध
अध्याय 6 (धारा 121-130)

धारा 121 के अनुसार, जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना।

धारा 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना।

धारा 124A-राजद्रोह- जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

धारा 125 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना।

धारा 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूट-पाट करना।

धारा 128 लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना।

धारा 129 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना।

धारा 130 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना।

सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध
अध्याय 7 (धारा 131-140)

धारा 131 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना।

धारा 136 अभित्याजक को संश्रय देना।

धारा 138 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण।

धारा 140 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना।

लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध
अध्याय 8 (धारा 141-160)

धारा 141 - विधिविरुद्ध जमाव- धारा 141 विधिविरुद्ध जमाव को परिभाषित करती है। इसके अनुसार, पाँच या अधिक व्यक्तियों का जमाव "विधि विरुद्ध जमाव" कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का, जिनसे वह जमाव गठित हुआ है निम्नलिखित में से कोई एक सामान्य उद्देश्य हो–

1. आपराधिक बल के प्रयोग या उसके प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना–
   (a) केन्द्र सरकार को, या
   (b) राज्य सरकार को, या
   (c) संसद को, या
   (d) राज्य विधानमंडल को, या
   (e) लोक सेवक (जो विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो) अथवा,
2. किसी विधि के या वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना, अथवा
3. रिष्टि या आपराधिक अतिचार या कोई अन्य अपराध करना, (अन्य अपराध में कोई भी अपराध सम्मिलित है) अथवा
4. आपराधिक बल के प्रयोग या प्रदर्शन द्वारा–
   (a) किसी सम्पत्ति का कब्जा लेना, या
   (b) किसी को उसके मार्गाधिकार या जल प्रयोगाधिकार या किसी अन्य अधिकार से वंचित करना, या
   (c) किसी अधिकार या किसी अनुमित अधिकार को लागू करना अथवा

5. आपराधिक बल के प्रयोग या उसके प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए विवश करना–
   (a) जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या
   (b) उसका लोप करने के लिए, जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो,

धारा 142 विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना।

धारा 143 के अनुसार जो कोई विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 144 घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना।

धारा 145 किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना।

धारा 146 **बल्वा करना (Rioting)-** जब कभी विधिविरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बल्वा करने के अपराध का दोषी होगा।

धारा 147 **बल्वा करने के लिए दण्ड** - जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 148 घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना।

धारा 149 के अनुसार, विधि-विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा।

सामान्य उद्देश्य के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं–
- पांच या अधिक व्यक्ति हों,
- उनका सामान्य उद्देश्य हो,
- उद्देश्य विधि विरुद्ध हो,
- सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में आपराधिक कार्य किया गया हो।

नानक चंद बनाम पंजाब राज्य (1953 SC) के वाद में सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य में अन्तर किया गया था।

■ **सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अन्तर–**

	सामान्य आशय (धारा-34)		सामान्य उद्देश्य (धारा-149)
1.	कम से कम व्यक्तियों की संख्या दो होनी चाहिए।	1.	कम से कम पांच व्यक्ति होने चाहिए।
2.	यह धारा किसी अपराध का सृजन नहीं करती है।	2.	यह विशेष अपराध का सृजन करती है।
3.	आशय का पूर्व नियोजित होना आवश्यक है।	3.	पूर्व नियोजित आशय आवश्यक नहीं है।
4.	आपराधिक कार्य में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी (योगदान) हो।	4.	मात्र विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना ही पर्याप्त है।
5.	मस्तिष्कों का पूर्व मिलन आवश्यक है।	5.	मस्तिष्कों का मिलन आवश्यक नहीं है।
6.	यह धारा संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है।	6.	यह धारा संयुक्त दायित्व की घोषणा करती है।

धारा 153A के अन्तर्गत धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय में से किसी के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना।

धारा 153AA- किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना।

धारा 153 B के अन्तर्गत राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान का उपबन्ध किया गया है।

■ धारा **154, 155, 156** प्रतिनिधिक दायित्व का उपबंध करती है।

आर. बनाम हिगिंस (1730) के वाद में प्रथम बार प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धान्त निर्णीत किया गया था।

धारा 159 **दंगा (Affray)-** जबकि दो या अधिक व्यक्ति लोकस्थान में लड़कर लोक शान्ति में विघ्न डालते हैं, तब कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। इस प्रकार दंगा के अपराध का अर्थ है जनता को आतंकित करना।

धारा 160 के अनुसार, जो कोई दंगा करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

■ **दंगा एवं बल्वा में अन्तर–**

	दंगा		बल्वा
1.	यह केवल सार्वजनिक स्थान पर ही किया जा सकता है।	1.	सार्वजनिक व निजी किसी भी स्थान पर हो सकता है।
2.	दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा।	2.	कम से कम 5 व्यक्तियों द्वारा।

लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध अध्याय 9 (धारा 161-171)

धारा 166A के अन्तर्गत **लोक सेवक, जो विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करता है** वह कठोर कारावास से, जो न्यूनतम छह मास किंतु अधिकतम दो वर्ष तक और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 166B **पीड़ित का उपचार न करने के लिए दण्ड-** जो कोई ऐसे किसी लोक या प्राइवेट अस्पताल का, चाहे वह केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, भारसाधक होते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357-ग के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह एक वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 167 लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है।

धारा 168 लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है।

धारा 170 के अंतर्गत लोक सेवक का प्रतिरूपण एक अपराध है।

निर्वाचन संबंधी अपराध
अध्याय 9-A (धारा 171A-171-I)

धारा 171A - अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार को परिभाषित किया गया है।
धारा 171B - रिश्वत को परिभाषित किया गया है।
धारा 171D - निर्वाचनों में प्रतिरूपण।
धारा 171E - रिश्वत के लिए दण्ड।
धारा 171H - निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय।

लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान
अध्याय 10 (धारा 172-190)

धारा 172 - समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लए फरार हो जाना।
धारा 174 - लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर-हाजिर रहना।
धारा 176 - सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोप।
धारा 177- में मिथ्या सूचना (इत्तला) देने को दण्डित किया गया है।
धारा 179 - प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार करना।
धारा 180 - कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार।
धारा 183 - लोक-सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा सम्पत्ति लिए जाने का प्रतिरोध।
धारा 186 - के अधीन लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालने पर तीन मास तक का कारावास या 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित करने का उपबन्ध है।
धारा 187 - के अनुसार सहायता देने हेतु विधि द्वारा आबद्ध होते हुए लोक सेवक को सहायता देने में लोप करने वाला व्यक्ति एक माह तक के सादा कारावास या 200 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
धारा 188 - लोक-सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा।
धारा 189 - लोक-सेवक को क्षति करने की धमकी।

मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध
अध्याय 11 (धारा 191-229A)

- **धारा 191** - मिथ्या साक्ष्य देना तथा **धारा 192** में 'मिथ्या साक्ष्य गढ़ना' को परिभाषित किया गया है।

धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिये दण्ड -
जो कोई साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह किसी भी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा तथा
अन्य मामले में मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह किसी भी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 194 - मृत्यु से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।
धारा 195 - आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।
धारा 195A- किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना।
धारा 196 - उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है।
धारा 197 - मिथ्या प्रमाण-पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना।
धारा 201 - अपराध के साक्ष्य का विलोपन या छुपाना।
धारा 203 - किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना।
धारा 204 - साक्ष्य को नष्ट करना।
धारा 209 - के अधीन बेइमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करने के लिए 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
धारा 210 - ऐसी राशि के लिए जो शोध्य न हो, कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना।
धारा 211 - क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप।
धारा 228 - न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक-सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न।
धारा 228A कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण- जो कोई पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण, मुद्रित या प्रकाशित करेगा जिसके विरुद्ध धारा 376, धारा 376A, धारा 376AB, धारा 376B, धारा 376C, धारा 376D, धारा 376DA, धारा 376DB या धारा 376E के अधीन कोई अपराध किया गया है या पाया गया है, तो वह दो वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
धारा 229 - जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण।
धारा 229A- जमानत या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता।

सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध
अध्याय 12 (धारा 230-263A)

धारा 230- सिक्का तथा भारतीय सिक्का की परिभाषा
धारा 231- सिक्के का कूटकरण
धारा 232- भारतीय सिक्के का कूटकरण
धारा 255- सरकारी स्टाम्प का कूटकरण

बाटों और मापों से संबंधित अपराध
अध्याय 13 (धारा 264-267)

धारा 264- तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग।
धारा 265- खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग।
धारा 266- खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना।
धारा 267- खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना।

लोक-स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध
अध्याय 14 (धारा 268-294A)

धारा 268 के अन्तर्गत लोक न्यूसेंस को परिभाषित किया गया है एवं **धारा 290** के अन्तर्गत लोक न्यूसेंस के दण्ड का उपबन्ध किया गया है।
धारा 277 जल प्रदूषण से सम्बन्धित है। इसके अनुसार जो कोई लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करेगा वह तीन माह तक के कारावास से या जुर्माना जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 278- वायु प्रदूषण से सम्बन्धित है।

धारा 279- **लोकमार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना-** जो कोई लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाएगा या हांकेगा जिससे मानव जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाए या किसी व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित हो जाए तो वह छह मास तक के कारावास से या जुर्माना जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 292- अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि को दण्डनीय बनाती है तथा यह हिकलिन के नियम से संबंधित है।

धारा 293- **तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय-** जो कोई **20 वर्ष** से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई अश्लील वस्तु बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरण करेगा, प्रदर्शित या परिचालित करेगा या इसका प्रयत्न करेगा तो वह प्रथम दोषसिद्धि पर तीन वर्ष तक के कारावास से और 2000 रुपये तक के जुर्माने से तथा द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर सात वर्ष तक के कारावास से और पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

धारा 294- **अश्लील कार्य और गाने-** जो कोई अश्लील कार्य करेगा या अश्लील गाने, कथागीत या शब्द गायेगा, सुनाएगा जिससे दूसरों को क्षोभ (पीड़ा) होता हो, वह तीन मास तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धर्म से संबंधित अपराध
अध्याय 15 (धारा 295-298)

धारा 295- किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करने से सम्बन्धित है।

धारा 296- 'धार्मिक जमाव में विघ्न करना' से सम्बन्धित है।

धारा 297- के अन्तर्गत जो कोई कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करेगा वह एक वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध
अध्याय 16 (धारा 299-377)

जीवन के लिए संकटकारी अपराध

- एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानव–वध कहलाता है। आपराधिक मानव वध को धारा **299** में परिभाषित किया गया है तथा धारा **304** में आपराधिक मानव वध के दण्ड का प्रावधान किया गया है।
- **धारा 300-**हत्या को परिभाषित करती है तथा धारा 302 हत्या के दण्ड का प्रावधान करती है।

धारा 300 में दिये गये अपवादों को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है यदि वह धारा 300 के चार खण्डों में से किसी एक में आता हो–

1. वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गयी हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा
2. ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे अपराधी जानता हो कि मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, अथवा
3. ऐसी शारीरिक क्षति किसी व्यक्ति को प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा
4. वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गयी हो उसके बारे में कार्य करने वाला व्यक्ति जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकटपूर्ण है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि मृत्यु कारित कर ही देगा।

निम्न 5 परिस्थितियों में आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होगा-

अपवाद-1

आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह **गम्भीर और अचानक प्रकोपन** से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करे या अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। **के. एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद महत्वपूर्ण है।**

अपवाद-2

आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी ने शरीर या सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग सदभावनापूर्ण करते हुए विधि द्वारा दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे।

अपवाद-3

आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन सद्भावपूर्वक विश्वास में करते हुए विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए।

अपवाद-4

आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुआ हो।

अपवाद-5

आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की गयी अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुये अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे, या मृत्यु का जोखिम उठाये। **दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य का वाद महत्वपूर्ण है।**

रेग बनाम गोविन्दा के वाद में धारा 299 तथा धारा 300 में अंतर को जस्टिस मेलविल ने स्पष्ट किया।

धारा 301 के अन्तर्गत जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध का अपराध किया गया। **अंतरित विद्वेष का सिद्धांत** इस धारा में निहित है।

धारा 302 के अन्तर्गत जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि **'मृत्युदंड' विरल से विरलतम (Rarest of the rare)** अपराधों मे ही दिया जाना चाहिए।

धारा 303 **को मिट्ठु सिंह बनाम पंजाब राज्य** के वाद में उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 द्वारा प्रदत्त समानता तथा जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करती है।

धारा 304 आपराधिक मानववध के लिए दण्ड।

धारा 304 क उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से सम्बन्धित है।

धारा 304 ख **दहेज मृत्यु-**जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि